



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112021-231111
CG-DL-E-13112021-231111

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4337]
No. 4337]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 12, 2021/कार्तिक 21, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 12, 2021/KARTIKA 21, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2021

का.आ. 4703(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1983 (अ) तारीख 24 मई, 2021, जो भारत के राजपत्र असाधारण को प्रकाशित की गई थी, में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, तलूक "सत्यमंगलम" के सामने "तलवड़ी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[फा. सं. NHAI/PIU-RMNG/12011/21km/2020-21/3A Corr.]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 12th November, 2021

S.O. 4703(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in Ministry of Road Transport and Highways, number S.O.1983(E), dated 24th March 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary:-

In the schedule to the said notification, against the name of the Taluk "Sathyamangalam", the entry "Talavadi" shall be substituted.

[F. No. NHAI/PIU-RMNG/12011/21km/2020-21/3A Corr.]

RAJESH GUPTA, Director